14/6/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प दरगावां पर पेश हुयी। पक्षकारान में राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 30/6/17 को पेश हो (4)

30/6/17 पत्रावली पेश हुयी। वकील फरीकेन उपस्थित। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल का बहस में कथन है कि सायल व गैरसायलान नं. 1 ता 4 सगे चाचा भतीजे है। विवादित आराजीयात ख.नं. 261, 353 रकबा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम दरगावां सायल के 1/2 हिस्से खातेदारी की है। एवं ख.न. 260, 262, 263, 352, 460, 502 कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा ग्राम दरगावां सायल के तन्हा खातेदारी की है जिसमें गैरसायलान लठ्ठ व लट्ठ के बल पर दादागिरी से फसल काट लेते हैं और आये दिन झगडा फसाद गाली-गलौच करते रहते हैं और सायलान के हिस्से की जमीन के उपयोग-उपभोग में बाधा पैदा करते है। इसलिए गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात सायल व गैरसायलान की पैतृक आराजीयात है। जिनका पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका है और बंटवारे अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है। सायल को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नहीं है। सायल व गैरसायलान के हक-हकूक मूल वाद में साक्ष्य के बाद तय होने है। इसलिए विवादित भूमि की ताफैसला वादपत्र यथास्थिति रखा जाना न्यायोचित है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शे का विवेचन किया गया। जिससे विवादित भूमि सायल व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी व सायल मदनू के तन्हा खातेदारी में अंकित है एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड सम्वत 2010 से 13 में भूमि सायल व गैरसायलान के पूर्वजों के नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में सायल व गैरसायलान के मध्य प्रकरण में सदभावी विवाद है जिसका निपटारा साक्ष्य के बाद वादपत्र के अंतिम निर्णय से होना प्रकट होता है और विवादित भूमि की यथास्थिति वाद के निर्णय तक रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

P.T.O.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	अतः प्रार्थना पत्र सायल विरुद्ध गैरसायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को ताफैसल। वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 261, 353, 260, 262, 263, 352, 460, 502 कुल किता 8 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा ग्राम-दरगवाँ तहसील मण्डरायल के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के साथ संलग्न हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल (करौली)	